गन्ना विकास विभाग की योजनाऐं

योजना में अनुदान की धनराशि व चयन की शर्ते निम्नवत है:–

1–**आधार पौधशाला अधिष्ठापन–** गन्ना शोध केन्द्र/गन्ना सम्बर्धन परिक्षेत्र से अभिजनक गन्ना बीज लेने वाले कृषकों (एक कृषक अधिकतम 25 कु. गन्ना बीज ले सकता है) के प्रक्षेत्रों पर आधार पौधशाला अधिष्ठापन की जायेगी। कृषक को आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज वितरण करनें पर पौधशाला धारक को रू. 50 प्रति कु. अनुदान देय होगा।

2–**प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन–** कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्थापित शरद/बसन्तकालीन आधार पौधशालाओं से अधिकतम 50 कु0 गन्ना बीज लेने वाले कृषकों के प्रक्षेत्रों पर प्राथमिक पौधशाला को अधिष्ठापन कराया जायेगा। कृषक को प्राथमिक पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज वितरण पर पौधशाला धारक को रू0 25 प्रति कु0 अनुदान देय होगा।

3–**क्षेत्र प्रदर्शन–** क्षेत्र प्रदर्शन अधिष्ठापन पर सामान्य जाति के लिए 0.500 हे0 का प्रक्षेत्र (प्लाट) होना चाहिए, जिस पर रू0 7500/– प्रति प्रदर्शन की दर से प्रति प्रदर्शन का अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के यहॉ 0.200 हे. क्षेत्रफल का प्रदर्शन रखा जा सकता है, जिस पर रू. 3000/–अनुदान दिया जायेगा। प्रदर्शन पर अनुदान का भुगतान फसल कटाई परिणाम के आधार पर जनपद की औसत उपज से न्यूनतम 25 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

4–**गन्ना उत्पादकता पुरस्कार:–** कृषकों को जिला /मण्डल/परिक्षेत्र एवं राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करनें हेतु पेडी एवं पौधा पर पृथक–पृथक प्रथम एवं द्वितीय पुरूस्कार निम्न विवरण के अनुसार दिये जायेगे–

क्र0सं0	स्तर	प्रवेश शुल्क	पुरूस्कार की धनराशि (रू0 में)	
			प्रथम	द्वितीय
1	जिला स्तर पर	150.00	25000.00	15000.00

5–**कृषि यन्त्र वितरण–** कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यन्त्रों का वितरण किया जायेगा। मानव चालित यन्त्र पर अधिकतम रू0 500.00 पशुचालित यन्त्र पर अधिकतम रू0 2500.00 अनुदान देय होगा। शक्ति चालित यन्त्र पर अधिकतम अनुदान रू0 30000.00 देय होगा।

6–**माइक्रोन्यूट्रियन्ट:–** माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण पर कुल मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 500/– प्रति हे. अनुदान देय होगा।

7–**ड्रिप इरिगेशन संयन्त्र स्थापना:–** ड्रिप इरिगेशन संयन्त्र स्थापना पर 50,000/– प्रति हे0 की दर से अनुदान देय होगा।

गन्ना समिति के पुराने बकायेदार अनुदान के पात्र नही होंगे। तथा एक परिवार को एक ही बार अनुदान अनुमन्य होगा। विस्तृत विवरण गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट www.upcane.org पर उपलब्ध है।

नोट:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गन्ना समिति के प्रगतिशील, साधन सम्पन्न, साक्षर, नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता सदस्य ही सम्मिलित किये जायेगे। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी फर्रूखाबाद/गन्ना विकास परिषद कायमगंज/चीनी मिल समिति कायमगंज से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की सकती है ।

(डा0 अजय सिंह)
जिला गन्ना अधिकारी
फर्रूखाबाद